



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 2005/2026

Bablu Harijan S/o Babulal Harijan, Aged About 23 Years,
Resident Of Kua Kheda Jawahar Nagar Police Station Jawda
District Chittorgarh Raj. (At Present Lodged In District Jail
Chittorgarh)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Lad Bai W/o Late Ramlal, Resident Of Jawahar Nagar Kua
Kheda Police Station Jawda District Chittorgarh Raj.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Shekhar Mewara
For Respondent(s)	:	Mr. Surendra Bisnhoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह द्वितीय आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना जावदा जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2022, अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 376डी, 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का कथन है कि इस मामले में पीड़िता व उसका भाई झूठे बयान दे रहे हैं, वे आपस में रिस्तेदार है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साढ़े तीन साल से एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है।

03. इतना लिखने पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त इस जमानत प्रार्थना पत्र पर को विद्झों करना चाहते हैं।

तदनुसार, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा विद्झों करने के आधार पर जरिये विद्झोंवल निस्तारित किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J